न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—48/2017/225 (2017/00048)

1. नेमीचंद पुत्र नाथू, जाति माली, निवासी कडैल, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर ।
2. नारायणसिंह पुत्र बेरिशाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी मझेवला, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
3. विक्रम सिंह पुत्र बेरिशाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी मझेवला, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. गजानन्द सिंह पुत्र स्व0 जतनसिंह, जाति रावणा राजपूत, नि0 मझेवला, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर ।
2. प्रहलाद सिंह पुत्र स्व0 जतनसिंह, जाति रावणा राजपूत, नि0 मझेवला, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर, दिनांक 10.2.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 58/2016.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 13.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के आदेश दिनांक 10.2.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—क राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की मौजा मझेवला तहसील पुष्कर में खसरा नंबर 393 की 14 बीघा, खसरा नंबर 394 रकबा 4 बीघा कुल रकबा 20 बीघा, खसरा संख्या 393/571 में बना कुआं व खसरा संख्या 394/590 की 2—10—00 बीघा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा है जिस पर उनके पास आने—जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अपीलांटस के खसरा नंबर 376 व 394/590 में से होकर रास्ते का उपयोग उपभोग करते है जो रास्ता खसरा नंबर 376 व खसरा संख्या 394/590 में मुख्य सड़क से 10 फीट चौड़ा आने हेतु विद्यमान है किन्तु अपीलांटस द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को दिनांक 20.1.2016 को अपने खेतों में आने जाने वाले रास्ते का उपयोग करने से मना कर दिया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार

कर प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान करावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 10.2.2017 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस की आराजियात खसरा नंबर 376 व 394/590 में से 10 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट को जब दिनांक 6.1.2017 को प्रकरण की सुनवाई वास्ते नोटिस जारी हुए तो इस दिनांक को अपीलांट स्वंय अधी0न्याया0 में उपस्थित हुए परन्तु पीठासीन अधिकारी महोदय इस दिन अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी व अधी0न्याया0 के लिपिकीय स्टाफ द्वारा अपीलांट को आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.1.2017 दे दी गई । दिनांक 17.1.2017 को अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता श्री कृष्णगोपाल खत्री के साथ अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर इस दिनांक को अधिवक्ता का वकालतनामा पेश किया जिस पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.2.2017 दी गई परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा पत्रावली पर मौजूद होते हुए अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 10.2.2017 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया । बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 से यह तथ्य छिपाकर अपीलाधीन निर्णय प्राप्त किया है क्योंकि ग्राम मझेवला के समस्त काश्तकारों द्वारा दिनांक 18.2.2016 को चौपाल कार्यक्रम कड़ैल में कैम्प प्रभारी के समक्ष मिलकर इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया था कि ग्राम मझेवला के काश्तकारों की भूमि में आने जाने वास्ते रास्ता मुहैया करवाया जावे । इसके बावजूद प्रार्थीगण ने गलत नियत से दिनांक 6.4.2016 को विवादित प्रार्थना पत्र केवल स्वंय के लिये रास्ते बाबत् पेश कर मिलीभगती से अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है । ग्राम मझेवला के समस्त काश्तकारों द्वारा कैम्प प्रभारी के समक्ष चौपाल कार्यक्रम के दौरान दिनांक 18.2.2016 को दिए गऐ सांझे प्रार्थना पत्र वास्ते आने जाने का रास्ता बाबत् लगभग एक वषे तक कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण दिनांक 17.1.2017 को समस्त ग्राम वासियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र सुमेरसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार, पुष्कर व अन्य धारा 251–ए के तहत पेश कर दिया था जिसके तहत समस्त ग्रमवासियों द्वारा अधी0न्याया0 से यह प्रार्थना की गई है कि समस्त ग्रामवासियों के रास्ते की समस्या देखते हुए सभी की सुविधानुसार 15 से 20 फीट तक का रास्ता चाक आउट किया जावे व इस रास्ते वास्ते जिन–जिन ग्राम वासियों के खेतों की भूमि आएगी वे उसका परित्याग करने के लिये तैयार है । उक्त प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन होते हुए प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने तथ्य छिपाकर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की मौजा मझेवला तहसील पुष्कर में खसरा नंबर 393 की 14 बीघा, खसरा

नंबर 394 रकबा 4 बीघा कुल रकबा 20 बीघा, खसरा संख्या 393/571 में बना कुआं व खसरा संख्या 394/590 की 2–10–00 बीघा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा है जिस पर उनके पास आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अपीलांटस के खसरा नंबर 376 व 394/590 में से होकर रास्ते का उपयोग उपभोग करते है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व भू–अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है । रेस्पो0 को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने से अधी0न्याया0 ने रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है। यह भी कथन किया कि अपीलांटस ने रेस्पो0 की भूमि में आवागमन हेतु अन्य किसी वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख नहीं किया है । विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण/अपीलांटस को नोटिस जारी किये थे, जिस पर अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दी है । इसलिये अपीलांट का यह कथन कि अधी0न्याया0 ने एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है, के संबंध में किया गया कथन उचित नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 द्वारा चाहे गये वांछित रास्ते के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक से रास्ते बाबत् मौका रिपोर्ट तलब की है जिसमें भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थीगण की आराजियात पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । भू–अभिलेख निरीक्षक की उक्त रिपोर्ट नियम 69 के अनुसार है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश किस तरह दूषित एवं गलत है । अपीलांट ने भी अपने अपीलमीमों में रेस्पो0 की आराजी में आवागमन हेतु किसी वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर एवं विवादित भूमि में रास्ता दिये जाने के संबंध में नियमानुसार भू–अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किये है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.2.2017 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर